14/18/158 Sh. Neeraj Sharma, (Faridabad NIT), M.L.A

Regarding the details of Fraud and Corruption in Plots under Oustees Quota.

- (a) Whether it is a fact that a complaint was given by the Shri Gian Chand Gupta, MLA in the year 2016 about the fraud and corruption in the allotment of 13 plots under oustees quota on dated 08.09.2015 in Panchkula city; if so, the details of the action taken after receiving the complaint in this regard;
- (b) Whether it is a fact that the Hon'ble Chief Minister has recommended the above said complaint to be investigated from the CBI; if so, the date/the basis on which the said recommendation was made togetherwith the details of the result of the said investigation; and
- (c) Whether any recommendation to conduct the enquiry from other agency was made by the Chief Minister after the earlier recommendation of conducting the enquiry from C.B.I.; if so, the details of the action taken in this regard?

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Yes, Sir.
- b) Yes, Sir. However, the file on which the recommendation was made on 01.06.2020 is untraceable and an FIR No. 368 dated 25.08.2022 regarding the missing file was lodged in Police Station, Sector-7, Panchkula.
- c) Pursuant to a later direction dated 19.08.2022, an FIR No. 369 dated 25.08.2022 has been lodged in this regard which is being investigated by Anti Corruption Bureau.

14/18/158 — नीरज शर्मा (फरीदाबाद एन.आई.टी.), एम.एल.एः

ओस्टीज कोटे के तहत प्लॉटों में धोखाधड़ी तथा भष्टाचार का ब्यौरा।

- (क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2016 में श्री ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक द्वारा पंचक्ला शहर में दिनांक 08.09.2015 को आउटसीस कोटे के तहत 13 प्लॉटों के आवंटन में धोखाधड़ी तथा भष्टाचार के बारे में शिकायत दी गई थी, यदि हाँ, तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बाद की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं,
- (ख) क्या यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री ने उक्त शिकायत की जांच सी.बी.आई. से कराने की सिफारिश की है, यदि हाँ, तो वह तारीख/आधार जिस पर उक्त सिफारिश गई थी उक्त जाँच के परिणाम का ब्यौरा क्या है, तथा
- (ग) क्या सी.बी.आई. से जांच कराने की पहले की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री द्वारा अन्य एजेंसी से जांच कराने की कोई सिफारिश की गई थी, यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) हॉ, श्रीमानजी।
- (ख) हॉ, श्रीमानजी। हालाँकि जिस फाईल पर 01.06.2020 को मामले को सी.बी.आई. को भेजने की सिफारिश की गई थी, उसका पता नहीं चल पा रहा हैं और उक्त फाईल के संबंध में एफ.आई.आर. संख्या नं. 368 दिनांक 25.08.2022 को पुलिस स्टेशन, सैक्टर-7, पंचकुला में दर्ज कराई गई थी।
- (ग) दिनांक 19.08.2022 के बाद के निर्देश के अनुसार इस संबंध में एफ.आई.आर. संख्या नं. 369 दिनांक 25.08.2022 दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही हैं।